

बिहार सरकार
अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग
सं०-3/आ०वि० (संघा०)-01-03/2012-

827

प्रेषक,

निदेशक।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक, कल्याण
सभी जिला कल्याण पदाधिकारी।

पटना, दिनांक- 15/4/2013

विषय :- वित्तीय वर्ष 2012-13 में गैर योजनान्तर्गत अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनु० जाति तथा अनु० जनजाति आवासीय विद्यालयों में सृजित स्थायी पदों के संधारणार्थ वेतन एवं भत्ते में आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभाग द्वारा संचालित अनु० जाति तथा अनु० जनजाति आवासीय विद्यालयों में सृजित स्थायी पदों के संधारणार्थ वेतन एवं भत्ते मद में विभिन्न आवंटनादेशों द्वारा निम्न प्रकार आवंटन निर्गत किये गये हैं:-

अनु० जाति आवासीय विद्यालय के लिए


(1)	आवंटनादेश सं० - 4,	दि० 18.05.12 द्वारा	-	₹7,77,92,250.00
(2)	आवंटनादेश सं० - 26,	दि० 22.09.12 द्वारा	-	₹4,93,25,000.00
(3)	आवंटनादेश सं० - 47,	दि० 30.10.12 द्वारा	-	₹6,62,805.00
(4)	आवंटनादेश सं० - 57,	दि० 29.11.12 द्वारा	-	₹6,05,74,200.00
(5)	आवंटनादेश सं० - 71,	दि० 28.01.13 द्वारा	-	₹4,15,84,000.00
(6)	आवंटनादेश सं० - 92,	दि० 21.03.13 द्वारा	-	₹1,46,08,000.00

अनु० जनजाति आवासीय विद्यालय के लिए

(1)	आवंटनादेश सं० - 05,	दि० 18.05.12 द्वारा	-	₹1,58,87,925.00
(2)	आवंटनादेश सं० - 27,	दि० 22.09.12 द्वारा	-	₹1,53,45,550.00
(3)	आवंटनादेश सं० - 58,	दि० 29.10.12 द्वारा	-	₹1,05,98,250.00
(4)	आवंटनादेश सं० - 72,	दि० 28.01.13 द्वारा	-	₹43,54,500.00
(5)	आवंटनादेश सं० - 93,	दि० 21.03.13 द्वारा	-	₹15,15,764.00

उपरोक्त आवंटनादेशों के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराया जाय, ताकि वित्तीय वर्ष 2013-14 में आवंटन की कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन


12.4.13
निदेशक